


वित्तीय स्वीकृति आदेश

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET)" के सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन (SMAM) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में "कस्टम हायरिंग केन्द्र लाठियाखेड़ी" पंचायत समिति रेलमगरा जिला राजसमंद की स्थापना हेतु जारी प्रशासनिक स्वीकृति आदेश क्रमांक प.4 (iv) कृ.यंत्र/2015-16/3505-14 दिनांक 01.03.2016 एवं उप निदेशक, कृषि (वि0) के पत्र क्रमांक एफ/स.नि.कृ.मु./क.हा./2015-16/5198-5206 दिनांक 11.03.2016 के द्वारा ऋण प्रदाता बैंक के रूप में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा रेलमगरा के स्थान पर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रेलमगरा किये जाने के अनुरोध की निरन्तरता में बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रेलमगरा के ऋण स्वीकृति पत्रांक BOB/Railmagra/ADV/2015-16 दिनांक 16.03.2016 द्वारा कस्टम हायरिंग केन्द्र लाठियाखेड़ी पंचायत समिति रेलमगरा जिला राजसमंद के अन्तर्गत अनुमोदित कृषि यंत्रों के क्रय हेतु श्री सम्पत लाल जाट निवासी लाठियाखेड़ी, ग्राम पंचायत सिंदेसर कला, पंचायत समिति रेलमगरा जिला राजसमंद को स्वीकृत परियोजना लागत राशि रु. 10.245 लाख (अक्षरे रूपये दस लाख चौबीस हजार पाँच सौ मात्र) के आधार पर कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतु जारी दिशा-निर्देश क्रमांक प.4 (iv) कृ.यंत्र/2015-16/ 822-912 दिनांक 15.06.2015 के आधार पर 40% अनुदान राशि रु. 4.098 लाख (अक्षरे रु. चार लाख नौ हजार आठ सौ मात्र) का भुगतान बैंक एन्ड सब्सिडी (Back and subsidy) के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रेलमगरा को किये जाने हेतु उप निदेशक, कृषि (वि0) कांकरोली जिला परिषद राजसमंद को एतद् द्वारा अधिकृत किया जाता है।


  
(डॉ० नीरज कुमार पवन)  
आयुक्त एवं पदेन  
विशिष्ट शासन सचिव, कृषि

क्रमांक:प.4 (iv) कृ.यंत्र/2015-16/ 3973-82

दिनांक: 27-3-2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, कृषि (आदान) मुख्यालय, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, कृषि, मुख्यालय, जयपुर।
4. खण्डीय संयुक्त निदेशक, कृषि भीलवाड़ा।
5. उप निदेशक, कृषि (वि0) कांकरोली, जिला परिषद राजसमंद को उनके पत्रांक एफ/स.नि.कृ.मु./क.हा./2015-16/5405-13 दिनांक 17.03.2016 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों की पालना सुनिश्चित कराते हुये वित्तीय स्वीकृति के आधार पर बैंक एन्ड सब्सिडी का सम्बन्धित बैंक शाखा को भुगतान करे।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/सहायक जन संपर्क अधिकारी मुख्यालय, जयपुर।
7. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रेलमगरा जिला राजसमंद जरिये उप निदेशक, कृषि (वि0) कांकरोली, जिला परिषद राजसमंद।
8. श्री सम्पत लाल जाट निवासी लाठियाखेड़ी, ग्राम पंचायत सिंदेसर कला, पंचायत समिति रेलमगरा जिला राजसमंद।
9. आरक्षी पत्रावली।

  
(एन. एन. कुमावत)  
अतिरिक्त निदेशक, कृषि (विस्तार)